भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2909
दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

दुर्लभ खनिजों की खोज और नीलामी

†2909. श्री यदुवीर वाडियारः
श्री करण भूषण सिंहः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे महत्वपूर्ण और अति-उपयोगी खनिजों के अन्वेषण और नीलामी को किस प्रकार बढ़ाया है;
(ख) क्या सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत किसी ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की है; और
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): दिनांक 17.08.2023 से संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 ने केंद्र सरकार को लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों आदि जैसे महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार दिया है। पिछले वर्ष (2024-25) के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है।

महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के गवेषण को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के गवेषण और संयुक्त अनुज्ञप्ति धारकों को गवेषण प्रोत्साहन प्रदान करता है और गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति भी

करता है। पिछले वर्ष (2024-25) के दौरान, एनएमईटी ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की 72 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने पिछले वर्ष (2024-25) के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए 195 गवेषण परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं।

(ख) और (ग): गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए 13 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की पहली श्रृंखला के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) दिनांक 13 मार्च, 2025 को जारी कर दी गई है।

*****